न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी — हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– टी.ए. 34/2020

पंजीयन दिनांकः– 16.09.2020

1. फतहसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत–मृतक के बजाय
   1. भगवतसिंह पिता फतहसिंह जाति राजपूत निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ
   2. रूकमण कंवर पुत्री फतहसिंह जाति राजपूत निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ
2. धापुबाई पुत्री रतनसिंह पत्नि टम्मुसिंह जाति राजपूत निवासी सरथला हाल मुकाम जूड़ तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।
3. कैलाशबाई पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत–मृतक के बजाय
   1. गुड्डी कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी वाडिया वाया मारवाड जक्शंन जिला पाली।
   2. मधु कंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नि चैनसिंह जाति राजपूत निवासी [illegible] तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ।
   3. श्रवणसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत–मृतक के बजाय
      1. शिवप्रतापसिंह पिता श्रवणसिंह जाति राजपूत जरिये संरक्षक माता श्रीमती दशरथ कंवर पत्नि श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी अलोद जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ।
      2. दशरथ कंवर पत्नि स्व0 श्रवणसिंह जाति राजपूत निवासी अलोद जागीर तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ।
4. कमला कंवर पत्नि स्व0 हरिसिंह जाति राजपूत निवासी सरथला हाल मुकाम हमानो का खेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलान्टगण

बनाम

1. वरदा पिता लालु जाति मोग्या–मृतक के बजाय (प्रार्थी)
   1. रतनलाल पिता वरदा जाति मोग्या निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ
   2. शंभुलाल पिता वरदा जाति मोग्या निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ
   3. कमा पुत्री वरदा जाति मोग्या निवासी सरथला तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2. मोहनी बाई पुत्री भेरा जाति मोग्या–मृतक के बजाय
   1. उदयलाल पिता उदयलाल जाति मोग्या निवासी सरथला हाल मुकाम पीथलवडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।
   2. गणपतलाल पिता उदयलाल जाति मोग्या निवासी सरथला हाल मुकाम पीथलवडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।
   3. प्रकाश पिता उदयलाल जाति मोग्या निवासी सरथला हाल मुकाम पीथलवडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।
3. रूपाबाई पुत्री भेरा पत्नि धन्ना जाति मोग्या निवासी सरथला हाल मुकाम नलवाई तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी
प्रकरण संख्या 158/2013 प्रार्थना पत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 08.05.2017

उपस्थित वक्त बहस 1. चंदनमल जणवा– अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सुरेन्द्र कुमार ओझा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण

निर्णय **दिनांक :– 30.01.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मोजा सरथला तहसील बडीसादडी की आराजी नम्बर 537 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी नम्बर 601 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा स्थित होकर आराजी नम्बर 537 के पडौस पूर्व मे भंमरू पिता लालु मोग्या का खेत, पश्चिम मे ऊंकार ब्राह्म्ण का खेत, उत्तर मे आम रास्ता सरथला गांव मे जाने का एवं दक्षिण मांगीलाल बलाई का खेत। इसी प्रकार आराजी नम्बर 601 के पडौसान पूर्व मे खरदेवला का सीमाडा, पश्चिम मे भंवरलाल ब्राह्म्ण का खेत। उत्तर मे आम रास्ता एवं दक्षिण भंवरलाल, नारायण ब्राह्म्ण का खेत स्थित है। उपरोक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट प्रार्थी के पूर्वजो के जमाने से कब्जे मे चली आ रही है। विपक्षीगण अपीलान्टगण एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 3 उनके पूर्वजो की अनपढता व अज्ञानता का नाजायज लाभ उठाते हुए बिना किसी आधार के गलत ढंग से कृषि आराजीयात अपने नाम दर्ज करवाई जबकि उनका कब्जा शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा के खुले रूप से लगातार चला आ रहा है जो 50 साल से भी अधिक समय का है। कब्जे के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी उक्त कृषि आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

का खातेदार काश्तकार हो चुका है। विपक्षी सं. 6 व 7 रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के सिखावे मे आकर रेस्पोडेन्ट प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा हो रहा है। इसलिये उनके विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपीलान्टगण विपक्षीगण को पाबन्द नही किया गया तो कृषि आराजीयात के किसी भी भू-भाग को खुर्द-बुर्द कर देगे व अनावश्यक विवाद बढेगा जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नही होगी।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 विपक्षीगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। अपीलान्टगण विपक्षीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। दोराने विचारण अपीलान्ट विपक्षी सं. 4 अपीलान्ट नम्बर 1 फतहसिंह की मृत्यु हो जाने पर उनकी नामकायमी का कोई आवेदन रेस्पोडेन्ट प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत थी। इसी दौरान रेस्पोडेन्ट प्रार्थी वरदा की मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 11.05.2017 को नियत थी। उससे पूर्व ही बिना अपीलान्टगण विपक्षीगण को सूचित किये पत्रावली दिनांक 08.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जरखाना मे नियत की जाकर मूल वाद के निस्तारण तक दोनो पक्षो को यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किये जाने का आदेश पारित किया। अपीलान्टगण विपक्षीगण विवादित कृषि आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट सं. 1 विपक्षी सं. 4 फतहसिंह की मृत्यु वर्ष 2010 मे ही हो गई थी, जिसकी कोई नामकायमी का आवेदन अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पेश नही किया गया। ऐसी स्थिति मे मृतक खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया है। रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती थी, फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने दोनो पक्षो को विवादित कृषि आराजीयात की मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखाये जाने का आदेश पारित किया।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 08.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्टगण विपक्षीगण ने इस न्यायालय मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 08.05.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की जो म्याद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होना मानते हुए अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट विपक्षीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रार्थी ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण मे जवाब प्रार्थना पत्र मे विचाराधीन थी। दिनांक 30.04.2010 को विपक्षी अपीलान्ट फतहसिंह का स्वर्गवास हो चुका था। इसी दरम्यान उक्त पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जरखाना मे नियत की जाकर उभयपक्षकारान की सहमति हो जाना मानते हुए बिना किसी लिखित राजीनामे के राजस्व लोक अदालत के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक दोनो पक्षों को मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु पाबन्द किये जाने के निर्णय व आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2016-17 सप्लीमेन्ट्री पेज 566 व पेज 637 पर प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होना बताते हुए अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे रेस्पोडेन्ट प्रार्थी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वादपत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 24.03.2009 से नियमित रूप से स्थगन आदेश जारी होकर प्रभावी रहा है। उभयपक्षकारान लोक अदालत मे उपस्थित हुए जिन्होने आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। उभयपक्षो की सहमति के आधार पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने मूलवाद के निस्तारण तक मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखाये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत आदेश है। अपीलान्टगण विपक्षीगण ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 16.09.2020 को अपील प्रस्तुत की है जिसको भी 3 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे विचाराधीन वादपत्र भी परिपक्वता की स्थिति मे आ चुका है। ऐसी स्थिति मे वर्ष 2017 से जारी स्थगन आदेश को वादपत्र के अंतिम स्तर पर निरस्त किया जाना विधिसम्मत नही होना मानते हुए अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की ओर से प्रस्तुत बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टगण प्रार्थी ने अपीलान्टगण विपक्षीगण के विरूद्ध मोजा सरथला की आराजी नम्बर 537 व 601 की खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र व वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र दर्ज 2009 मे प्रस्तुत किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना मानते हुए दिनांक 24.08.2009 को अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जो दिनांक 08.05.2017 तक जारी रहा है दिनांक 08.05.2017 को उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जरखाना मे नियत की गई। राजस्व लोक अदालत मे पक्षकारान उपस्थित हुए व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रकरण पुराना होने से दिनांक 24.08.2009 से जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण विपक्षीगण ने 3 वर्ष पश्चात् दिनांक 15.09.2020 को प्रथम अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील को इस न्यायालय मे 3 वर्ष हो चुके है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे उभयपक्षकारान के मध्य विचाराधीन वादपत्र भी परिपक्वता की स्थिति मे है। ऐसी स्थिति मे विवादित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे 12 वर्ष से जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नही होता है जिससे अपीलान्टगण विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नही है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण विपक्षीगण अस्वीकार कर जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बडीसादडी के प्रकरण संख्या 158/2013 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक 08.05.2017 यथावत रखे जाते है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान के मध्य विचाराधीन वादपत्र का यथाशीघ्र विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ